यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला खान अधिकारी, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, पौड़ी के माह 04/2017से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्रीमती रेखा,(स.ले.प.अ.) श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी (स.ले.प.अ.), श्री एस.एस. दरियाल(स.ले.प.अ.) द्वारा दिनांक 28-05-18 से 05-06-18 तक श्री पी. के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी0के0श्रीवास्तव एवं श्री कलवंत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 10-01-2018 से 18-01-2018 तक श्री नवीनचन्द्र शंखधर, लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2017 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-**

3. (ii) (अ)**राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वाराअर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है।

वर्ष	अर्जितराजस्व (रू लाख में)
2015-16	1813.14
2016-17	1699.11
2017-18	2367.63

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैरस्थापना`	आवंटन`	व्यय`	आवंटन`	व्यय`		
शुन्य								

(स) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिकअवशेष`	प्राप्त`	व्ययअधिक्य(+) `	बचत(-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन: शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0 ओ0 द्वारा सभी जनपदों को किया जाता है|गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-अपर सचिव-निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक–उपनिदेशक(भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी)- खान अधिकारी/सहायक भूवैज्ञानिक- सर्वेक्षक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षामें **कार्यालय जिला खान अधिकारी, पौड़ी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला खान अधिकारी, पौड़ी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi)**विस्तृतजांचहेतुमाहकाचयन:-**

राजस्व: माह 03/18 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह.....को विस्तृत जांच(व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजनाकाचयन :-लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डीपीसी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

.

राजस्व की लेखा परीक्षा

भाग 2 (क)

प्रस्तरः- 1 नियमावली / नीति के प्रावधानानुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण ` 31.39 करोड़ की हानि ।

"उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि का निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति (जिला खान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली,2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमशः अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क रु.5000 व चुगान पट्टे हेतु रु.100000/-निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तांकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1578/VII-1/158-ख/04टीसी-II दिनांक 30 सितम्बर,2016 के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर 2016 से खनिजों के अभिवहन हेतु ई-रवन्ना पद्यति लागू किए जाने के संबंध में ई रवन्ना लागू किया गया था, राज्य क्षेत्रांतर्गत खनिजों के अभिवहन हेतु e-form "MM-11" तथा भंडारण/क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लांट स्थल से खनिजों के परिवहन हेतु e-form "J" का निर्धारण किया गया है। उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1560/VII-1/158-ख/04टीसी-II दिनांक 30 सितम्बर,2016 के अनुसार खनन पट्टाधारक द्वारा अग्रिम रूप से जमा की गई रॉयल्टी धनराशि के सापेक्ष आगणन कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा खनिज निष्कासन की क्षमता स्वीकृत की जाएगी। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार का उप खनिज बिना अनुज्ञा पत्र /पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है और बिना e-form एमएम-11 एवं e-form J के खनिज परिवहन नहीं किया जा सकता है, लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना उल्लिखित प्रपत्रों के ही उपखनिजों का खनन/ परिवहन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा किया गया, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर,2016 के अनुसार अवैध खनन पर रु. 200000/- अर्थदण्ड और उपखनिज परिवहन करने वाले वाहन के

प्रकार के अनुसार रु. 5000 से 50000/- तक अर्थदण्ड एवं परिवहन की जा रही उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला खान अधिकारी पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त लिखित निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। जबकि उक्तलिखित निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में `7,84,62,991/-जमा किया गया था। यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत किये जाते तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता , लेकिन विभाग के द्वारा खुलेआम हो रहे कार्यो के सापेक्ष नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण उपखनिजो का अवैध खनन, परिवहन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था जिससे राजस्व की हानि हुई। जिला पौड़ी के 14 निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 20017-18 में अत्यधिक मात्रा 5,09,499.94 घनमीटर (78462991/154) अवैध उपखनिज निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था (विवरण पत्र संलग्न)। उल्लिखित नियमानुसार निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना अनुज्ञा/ पट्टा एवं बिना निर्धारित प्रपत्र e-form MM-11 एवं form J के ही परिवहन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त की गई उपखनिजों के सापेक्ष कुल `78462991/- रॉयल्टी जमा किया गया था, का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना था, जिसे खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण सरकार को `31,38,51,964.00 (78462991x5 = 392314955-78462991) की हानि हुई |

अत: विभाग के द्वारा नियमावली/नीति के अनुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण सरकारी खजाने में `31.39 करोड़ की प्राप्ति नहीं हो सकी।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए निर्माण इकाइयों द्वारा प्रयुक्त की जा रही अवैध खनन /परिवहन की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाते हुये प्रकरण पर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त `31.39 करोड़ की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

जिला पौड़ी के निर्माण इकाइयों कार्यालयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में बिना e-form "MM-11" एवं e-form "J" के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि का विवरण।

क्रम सं.	नि र्माण इकाई का नाम	बिना e-form "MM-11" एवं e-form "J" के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि	किस दर से रॉयल्टी की कटौती की गई
1	अधिशासी अभियंता,सिंचाई खंड, एवं नमामि गंगा योजना, श्रीनगर	8230343	
2	अधिशासी अभियंता,सिंचाई खंड, दुगड्डा	3986375	
3	अधिशासी अभियंता,निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0, पौड़ी	8189697	
4	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0, पावो	9987942	
5	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0, श्रीनगर	7321572	
6	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0,बेजरो	9369946	
7	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0, दुगड्डा	6349624	
8	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, लेन्सडावन		उपलब्ध नहीं
9	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, पौड़ी	9310049	
10	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अवियंत्रण सेवा, पौड़ी	2220463	
11	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अवियंत्रण सेवा, कोटद्वार		उपलब्ध नहीं
12	अधिशासी अभियंता, पेजल निर्माण निगम, पौड़ी		उपलब्ध नहीं
13	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, पौड़ी	3206964	
14	अधिशासी अभियंता, एशियन विकास बैंक खंड पौड़ी	1775928	
15	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, श्रीनगर	588552	
16	अधिशासी अभियंता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, धूमाकोट		उपलब्ध नहीं
17	अधिशासी अभियंता, PMGSY खणड, सतपुली		उपलब्ध नहीं

18	अधिशासी अभियंता, PMGSY खण्ड, बेजरों		उपलब्ध नहीं
19	अधिशासी अभियंता, PMGSY खण्ड श्रीनगर	7569592	
20	अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक खण्ड, पौड़ी		उपलब्ध नहीं
21	अधिशासी अभियंता, लघु डाल खंड, श्रीनगर	355944	
	योग	**78462991**	

भाग 2 (क)

प्रस्तर:-2- भाटक की वसूली न किए जाने के परिणाम स्वरूप ` 1.34 करोड़ की हानि।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1561/VII/80-ख/2016 दिनांक 30 सितंबर, 2016 उत्तराखंड उपखनिज(बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 8(ग) अनुसार निगमों को आवंटित राजस्व लाटों को निविदा प्रक्रिया से आवंटन हेतु कार्यवाही 21 दिन की विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। प्रथम विज्ञप्ति के उपरांत चुगान क्षेत्रों के आवंटन न होने पर दूसरी विज्ञप्ति एक सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। दूसरी विज्ञप्ति के उपरांत भी यदि चुगान क्षेत्र निविदा पर आवंटित नहीं हो पाता है तो उस दशा में चुगान का कार्य स्वयं निगम के द्वारा किया जाएगा। यदि शासन द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्रों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम के द्वारा यथा समय समर्पण किया जाता तो उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति,2016 नियम 9 के अनुसार आवंटित कर राजस्व प्राप्त की जाती। उक्तलिखित नीति के नियम 16 के अनुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक या रॉयल्टी की धनराशि का भुगतान समयांतर्गत किए जाने की दशा में बकाया धनराशि पर 24% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा। उत्तराखंड शासन औधौगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 के अनुसार प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक रु. 80000.00 प्रति वर्ष निर्धारित है। पूर्व में वार्षिक अपरिहार्य भाटक रु. 40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष निर्धारित था।

कार्यालय जिला खान अधिकारी पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम को वर्ष 2013 से 2016 तक कुल 3 खनन क्षेत्र शासन के द्वारा आवंटित किए गए थे, आवंटित 2 खनन क्षेत्रों में खनन कार्य किया जाने का/ समर्पण किए जाने का अभिलेखों में कोई साक्षय नहीं पाया गया। इस प्रकार स्वीकृत खनन क्षेत्रो पर खनन कार्य न कराये जाने के कारण उक्त नियमानुसार गढ़वाल मण्डल विकास निगम से स्वीकृत खनन क्षेत्रों पर निम्नानुसार वार्षिक भाटक रु. **13266160/-** वसूल किया जाना अपेक्षित था।

अतः गढ़वाल मण्डल विकास निगम से भाटक की वसूली न किए जाने के परिणाम स्वरूप रु.13266160/- की हानि हुई है।

क्रम सं. (1)	खनन लौट का नाम (2)	खनन क्षैत्रफल हेक्टेयर (3)	आवंटित तिथि (4)	खनन पट्टे समाप्ती की तिथि (5)	एकड़ (6)	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की धनराशि 25/02/2016 तक रु. 40000.00 और 26/02/2016 से 80000.00	कुल वार्षिक भाटक
1.	खौ नदी	66.3	25/07/2016	24/07/2021	163.827	80000x163.827x1=13106160	1,31,06,160.00
2.	चमोलीसैण	0.78	26/02/2016	25/02/2021	1.927	80000x1.927x2=3,08,320	3,08,320
3	सुखरो	27.853	-	-	-	-	-
कुल							1,34,14,480-

यह भी उल्लेखनीय है कि 1 खनन क्षेत्र सुखरो में 27.853 हेक्टेयर आवंटित किया गया था लेकिन इसका कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जिला कार्यालय स्तर पर अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण समस्त आपत्तियों की पुष्टि भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के मुख्यालय देहरादून से कराने के उपरांत आख्या एवं अभिलेख उपलब्ध करा दिये जाएंगे ।

अत: उक्त ` **1.34** करोड़ की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तरः- 2. बकाया रायल्टी एवं ब्याज की वसूली न किये जानेकेपरिणामस्वरूप राजस्व क्षति `50.01 लाख।

शासनादेश संख्या 1917/VII-1/130-ख/2013 दिनांक 23 सितम्बर 2013 के बिन्दु 9 (iv)(पाँच) के अनुसार यह प्रावधान किया गया था, कि सफल निविदाकार द्वारा खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ करने के उपरान्त आगामी माह की 20 तारीख तक अग्रिम जमा किया जायगा। निर्धारित तिथि तक अग्रिम जमा न किये जाने की दशा में खान अधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 15% वार्षिक ब्याज सहित जमा किए जाने का नोटिस जारी किया जायेगा। यदि नोटिस के उपरान्त भी अग्रिम जमा नहीं किया जाता है तो पुनः खान अधिकारी द्वारा 07 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 18% वार्षिक ब्याज की दर से नोटिस जारी किया जायेगा, यदि नोटिस के उपरान्त भी अग्रिम जमा नहीं किया जाता है तो जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभूति व अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा। खनन पट्टा निरस्त होने तथा अग्रिम जमा जब्त होने के उपरान्त भी कोई देयता बनती है तो खनन पट्टा धारक से पृथक से भू- राजस्व की क्षति खनन राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जायेगी तथा पट्टाधारक को 05 वर्ष हेतु काली सूची मे डाल दिया जायेगा। इसी क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1561/VII-I /80 ख/2016 देहारादून दिनांक 30 सितम्बर 2016 द्वारा ब्याज की दर 24% निर्धारित की गयी है।

कार्यालय जिला खान अधिकारी पौड़ी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त प्रावधानों के प्रतिकूल निम्नलिखित 7 खनन पट्टा धारकों द्वारा देय मासिक रायल्टी की धनराशि विलम्ब से जमा की गयी थी। विलम्ब से जमा की गयी धनराशि पर रु. 2287178/- ब्याज भी जमा नहीं कराया गया था । 5 खनन पट्टा धारकों द्वारा देय मासिक रायल्टी की धनराशि रु. **2713387**/- 31.03.2018 तक जमा नहीं की गयी थी।जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं	पट्टाग्रहीता का नाम	रॉयल्टी की बकाया धनराशि	ब्याज की बकाया धनराशि	कुल धनराशि
1.	श्री सुबोध नेगी	_	7214	7214
2.	श्री जितेन्द्र चौहान	62928	76540	139468
3.	श्री हरीश चन्द्र जोशी	48500	430295	478795
4.	श्री लोकपाल सिंह रावत	_	122091	122091
5.	श्री जे0 बी0 एसोसिएट	187976**0**	1075701	2955469
6.	श्री सुखदेव सिंह रावत	528310	289611	817921
7.	श्री विक्रम सिंह रावत	193881	285726	479607
	योग	**2713379**	**2287178**	**5000557**

इस प्रकार रायल्टी एवं ब्याज `**5000557**/(2713387**+**2287178) से विभागवंचित रह गया।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संबन्धित प्रकरणों पर समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी कार्यालय से की जाती है तथा संबन्धित समस्त पत्रावलियों का रख-रखाव भी जिलाधिकारी कार्यालय में ही किया जाता है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रकरणों पर समस्त कार्यवाही किया जाना एवं समस्त अभिलेखों का रख रखाव कार्यालय जिला खान अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों एवं शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो "ख"

प्रस्तर-1- नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर `30.64 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर न वसूला जाना।

(अ) उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली,2005 यथा संशोधित नियम -13 (2) (इ) हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी पर मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह रु. 50000/-का अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी पौड़ी के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण पत्र में उल्लिखित स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/ कम्पनियों के द्वारा कोई मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । उल्लिखित नियमानुसार मासिक वावरणी प्रस्तुत न करने पर रु. 2650000/- अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला नहीं गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में संचालित/ स्वीकृत स्टोन क्रेशर का विवरण

क्र. स.	स्टोन क्रेशर का नाम व पता	स्वीकृत क्षेत्रफल हेक्टेयर में	स्वीकृत अवधि	प्रतिदिन क्षमता	कुल माह जिसका मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया (09/12/2016 से)
1	मै0 डाडा नागराजा स्टोन क्रेशर	0.640	29.04.2016 से 28.04.2021	100 टन	16 माह x 50000=800000
2	प्रो0 चौहान स्टोन क्रेशर मलेठी	0.912	02.07.2016 से 01.07.2021	140 टन	16 माह x 50000=800000
3	मै0 राहवे इंटर प्राइजेज	0.614	13.08.2014 से 12.08.2017	200 टन	08 माह x 50000=400000
4	जयकृत सिंह रावत	0.556	04.02.2015 से 03.02.2018	200 टन	13 माह x 50000 =650000
				योग	**2650000/-**

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि दिसम्बर 2016 से मैनुअल रवन्ना के स्थान पर ऑनलाइन ई रवन्ना प्रारम्भ कर दिया गया था। अत: भंडारणों द्वारा उपखनिज की खरीद एवं बिक्री का समस्त विवरण विभागीय वेवसाइट

पर उपलब्ध है, परन्तु लेखा परीक्षा की आपत्ति के अनुसार मासिक विवरण यथा समय प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पत्राचार किया जाएगा।

(ब) उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकासअनुभाग-1 सं. 1873/VII-1/158-ख़/ 04टीसी देहरादून : दिनांक:09 दिसम्बर, 2016 के नियम-11 में अतिरिक्त प्रावधान उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 नियम-13(2)(ड) के अनुसार भण्डारकर्ता द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर रू2000/- का अर्थदंड आरोपित किया जाने का प्रावधान है |

कार्यालय जिला खान अधिकारी पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खनिज भण्डारकर्ताओ तथा स्टोन क्रेशर भण्डारकर्ताओद्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये गए थे | विभाग द्वारा खनिज भण्डारकर्ताओतथास्टोन क्रेशर भण्डारकर्ताओ को मासिक विवरणी जमा न करने पर नोटिस निर्गत नहीं किया गया और अर्थदंड भी अधिरोपित नहीं किया गया था | 16 खनिज भण्डारकर्ताओ एवं 2 स्टोन क्रेशर भण्डारकर्ताओ पर अर्थदण्ड अधिरोपित न करने के फलस्वरूप रू 414000/-(366000+48000)वसूला नहीं गया था(विवरण पत्र संलग्न)|

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि दिसम्बर 2016 से मैनुअल रवन्ना के स्थान पर ऑनलाइन ई रवन्ना प्रारम्भ कर दिया गया था। अत: भंडारणों द्वारा उपखनिज की खरीद एवं बिक्री का समस्त विवरण विभागीय वेवसाइट पर उपलब्ध है, परन्तु लेखा परीक्षा की आपत्ति के अनुसार मासिक विवरण यथा समय प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पत्राचार किया जाएगा।

विभाग द्वारा आपत्ति को स्वीकारने से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित न करने के फलस्वरूप रू 414000/ की हानि हुई।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

जनपद पौड़ी के अंतर्गत खनिज भंडारणकर्ताओ के खनिज सम्बन्धी मासिक विवरणी से सम्बन्धी सूची |

क्रम सं.	भण्डारणकर्ता का नाम(सर्वश्री/ श्रीमती)	भण्डारण स्वीकृति तिथि	माह जिनके मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह	अर्थदंड(रू2000/-प्रति माह)	टिपण्णी
1	श्री शुभलोक सिंह	04-10-2017	11/2017 से 03/2018 तक	5	10000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
2	मैसर्स दुर्गा इंटरप्राइजेज श्री डब्बलसिंह रौथाण	08-03-2016	04/2017 से 03/2018 तक	12	240000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
3	श्री प्रदीप असवाल	09-05-2016	04/2017से 03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
4	मैसर्सपंछी इन्टरप्राइजेजश्री योगेश चंद	24-08-2016	04/2017 से 03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
5	मैसर्स बिष्ट ट्रेडर्स प्रो श्री केशर सिंह बिष्ट	14-06-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
6	श्री प्रवीण सिंह	12-08-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
7	श्रीमैसर्सभंडारी इन्टरप्राइजेज श्री नरेंद्र भंडारी	12-08-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
8	मैसर्सनव्या ट्रेडर्स श्री चन्दन सिंह नेगी	19-05-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
9	श्रीनरेन्द्र कुकरेती	14-06-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
10	मैसर्स सिद्धबली इन्टरप्राइजेज श्रीमती ममता रावत	31-05-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं

11	आराहया ट्रेडर्स श्रीमती शिल्पा बिष्ट	27-09-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
12	नवदुर्गा इन्टरप्राइजेज	20-03-2017	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
13	विनोदकुमार नेगी	24-02-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
14	जयसिंह बिष्ट	01-05-2017	06/2017 से03/2018 तक	10	20000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
15	जितेंद्र सिंह चौहान	09-08-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
16	मैसर्स डांडा नागराज स्टोन क्रेशर प्रो. वीरेन्द्र बिष्ट	29-04-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
				183	**366000/-**	

जनपद पौड़ी के अंतर्गत स्टोन क्रेशर भण्डारण सम्बन्धी मासिक विवरण सूची |

क्रं.सं	भण्डारणकर्ता का नाम(सर्वश्री/ श्रीमती)	स्वीकृति तिथि	माह जिनके मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह	अर्थदंड(रू 2000/-प्रति माह)	टिपण्णी
1	चौहान स्टोन क्रेशर प्रो. त्रिलोक सिंह चौहान	02-07-2016	04/2017 से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
2	जयकृत सिंह रावत	25-05-2016	04/2017से03/2018 तक	12	24000	मासिक विवरणी उपलब्ध नहीं
				24	**48000/-**	

STAN

प्रस्तर:1- अवैध खनन में पकडे गए वाहनो के अर्थदण्ड की वसूली से सम्बंधित साक्ष्य का न पाया जाना ` 2.63लाख ।

उत्तराखंड शासन ,औद्योगिक विकास विभाग के पत्र संख्या 1725/VII-1/16/158ख/2004,देहरादून: दिनांक 13 नवम्बर 2016 की अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में खनिजो के परिवहन हेतु वाहनो की भार क्षमता के अनुसार अवैध परिवहन पर आरोपित की जाने वाली धनराशि को शमन किए जाने के सम्बंध में उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवम भंडारण का निवारण)(संशोधन) नियमावली 2016 के नियम 13 के उप नियम (2) में खंड (ख) में प्रावधान किया गया है।

कार्यालय जिला खनन अधिकारी पौड़ी की लेखापरीक्षा के दौरान अवैध खनन, परिवहन, भंडारण से सम्बंधित पत्रावली की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन के राजस्व अधिकारियो के द्वारा उपखनिज/अवैध खनन का परिवहन करते हुए 11 वाहन पकड़े गए। इन प्रकरणो में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार रु262983अर्थदंड आरोपित किया गया था। लेकिन आरोपित अर्थदंड की वसूली के सापेक्ष कितनी धनराशि वसूली गई, इसका अभिलेखो में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही पाया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

अवैध खनन में पकड़े गए व्यक्तियों की सूची

क्र म सं	व्यक्ति का नाम	वसूली के आदेश की तिथि	लेखापरीक्षा तिथि तक नही वसूली

ख्या			गई धनराशिरु
1	श्रीमती तारा देवी पत्नी सुरजीत सिंह,ग्राम-झंडीचौड,हल्दूखाता,कोटद्वार	03.07.2017	10000
2	श्री पपेंद्र सिंह पुत्र-योगेंद्र सिंह ग्राम-मानपुर,कोट्द्वार	25.07.2017	13000
3	श्री अर्जुन सिंह पुत्र सोहन सिंह,ग्राम-श्रीनगर रोड,पौडी	04.12.2017	36000
4	श्री मनोज गैरोला पुत्र दिगम्बर गैरोला,ग्राम-सेरा पट्टी भर्दार,श्रीनगर	07.12.2017	10000
5	श्री मोनू, पुत्रघनश्याम,बालागंज,कलालघाटी, देवेंद्र, पुत्र ईश्वरी प्रसाद,गाडीघाट कोट्द्वार प्रमोद,पुत्र कोमल सिंह गिवई स्रोत,कोट्द्वार ललित सिंह पुत्र गोविंद सिंह ,निम्बूचौड ,कोट्द्वार	07.12.2017	32500
6	मिंटू पुत्र गोपाल,ग्राम-मौलखंडी,पौडी	23.12.2017	41350
7	श्री रमेश कुमार पुत्र इंद्र सिंह,लकडी पडाव,कोट्द्वार	30.12.2017	15313
8	श्री दिनेश सिंह पुत्र रणजीत सिंह,मूलखंडी,पौडी	12.01.2018	42313
9	श्री कमल रावत पुत्र खेमसिंह ग्राम-कुंडी पट्टी कंड्वाल्स्यू	06.03.2018	41350
10	श्री मिलन बिष्ट पुत्र कुंवर सिंह बिष्ट ,दुर्गापुर कोट्द्वार	22.03.2018	14425
11	श्री नजमुद्दीन पुत्र अलीमुद्दीन,पुराना श्रीनगर	27.03.2018	6732
	कुल योग		262983

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संबन्धित प्रकरणों पर समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी कार्यालय से जाती है तथा संबन्धित समस्त पत्रावलियों का रख-रखाव भी जिलाधिकारी कार्यालय में ही किया जाता है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रकरणों पर समस्त कार्यवाही किया जाना एवं समस्त अभिलेखों का रख रखाव कार्यालय जिला खान अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अत: उक्त रु2.63 लाख हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों केसंज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
DMO/128/2017-18	1,2,3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : विभाग द्वारा अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

व्यय से संबन्धितविगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण: व्यय नहीं किया जाता है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य-**टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य-**टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला खान अधिकारी, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

2.सतत्अनियमितताएः शून्य

3.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रमसं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री दिनेश कुमार	उपनिदेशक/भू-वैज्ञानिक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला खान अधिकारी, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (राजस्वक्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व